



डॉ यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवम वानिकी विश्वविद्यालय
नौणी-सोलन (हिमाचल प्रदेश)
शैक्षणिक अनुभाग, कुलसचिव कार्यालय

सं. यूएचएफ/रजि.(शैक्षणिक)4-30/2022/-52237-65

दिनांक: नौणी, द:- 6-3-2023

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा-निर्देश सं. 14-4/2012(सीपीसी-II), दिनांक 6 मई, 2019 जो कि भारत सरकार के राजपत्र सं. 146 भाग-III खंड 4, दिनांक 6 मई, 2019 को प्रकाशित किया गया है के अनुसार, विश्वविद्यालय के किसी शैक्षणिक विभाग/कॉलेज से संबंधित न होने वाली शिकायत से निपटने के लिए माननीय कुलपति ने निम्नलिखित समिति का गठन किया है:-

संस्थागत छात्र शिकायत निवारण समिति (आईएसजीआरसी)

- | | |
|---|------------------------|
| 1. अधिष्ठाता, औद्यानिकी महाविद्यालय | - अध्यक्ष |
| 2. छात्र कल्याण अधिकारी | - सदस्य |
| 3. विभागाध्यक्ष, पर्यावरण विज्ञान विभाग | - सदस्य |
| 4. डॉ. राकेश गुप्ता, प्राध्यापक (शिक्षाविद) | - सदस्य |
| 5. महाविद्यालय के विद्यार्थियों में से प्रतिनिधि
(शैक्षणिक आधार पर कुलपति द्वारा मनोनीत
खेल/सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में योग्यता/उत्कृष्टता) | - विशेष आमंत्रित सदस्य |

समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। बैठक में गणपूर्ति विशेष आमंत्रित सदस्य को छोड़कर अध्यक्ष सहित तीन का होगा और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करेगा। समिति अपनी रिपोर्ट शिकायत प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर कुलपति को प्रस्तुत करेगी तथा शिकायतकर्ता को भी इसकी एक प्रति भेजेगी।

(संदीप नेगी, आईएसजीआरसी)
कुलसचिव
फोन नंबर 01792-252219

पृष्ठांकन संख्या : उपरोक्त। 52237-65

दिनांक:- 6-3-2023

उपरोक्त की प्रति निम्न को जानकारी एवं समरूप कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है :-

1. अधिष्ठाता, औद्यानिकी महाविद्यालय/वानिकी महाविद्यालय नौणी-सोलन (हिमाचल प्रदेश)।
2. अधिष्ठाता, औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, नेरी (हमीरपुर)।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, औद्यानिकी महाविद्यालय/वानिकी महाविद्यालय, नौणी-सोलन।
4. जनसंपर्क अधिकारी/सचिव, कुलपति, डॉ वाई एस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी-सोलन।
5. प्रभारी, कंप्यूटर एवं इंस्ट्रुमेंटेशन सेंटर, यूएचएफ, नौणी, सोलन। अनुरोध है कि इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।

कुलसचिव